

4/5/2001 239 2000Rs.



6364

महाराष्ट्र राज्य न्यायिक प्रशासन विभाग  
 न्यायाधीश कार्यालय, मुंबई  
 दिनांक 14/5/2007

मा० नं० १४४४/०७  
 प्रांतीय न्यायिक विभाग

₹ 18000.00  
 ₹ 780.00  
 ₹ 18780.00  
 ₹ 2.50  
 ₹ 18782.50

श्री. जुनास उरांव पिता स्व. सोमरा उरांव  
 सा. शा. गोतरा डिहटी टोली जिला गुमला  
 45000/- श्री. पाकर 0 20 20  
 गरीब कोषा - का. सं. 14.5.97  
 कोषा - 14.5.97

1. लेख्यकारी :- श्री जुनास उरांव पिता स्वर्गीय सोमरा उरांव  
 जाति-उरांव, पेशा-खोती-बारी, निवास ग्राम-  
 गोतरा डिहटी टोली, थाना-सिमडेगा, जिला -  
 गुमला - भारतीय । .. बिक्रेता ।  
 प्रथम- पत्र संख्या : 11/197
2. लेख्यधारी :- श्री बसंत कुमार बाहा पिता स्वर्गीय मंजर बाहा  
 जाति-उरांव, पेशा-खोती-बारी, निवास ग्राम-  
 गोतरा डिहटी टोली, थाना-सिमडेगा, जिला-गुमला  
 .. .. क्रेता - भारतीय ।

- ① प्रमाणित किर्ती प्रथम-पत्र संख्या :- 9121 97  
 ② श्रीमंन टोपी  
 ③ कुसुम ईश बाहा

श्री. जुनास उरांव पिता स्व. सोमरा उरांव  
 सा. शा. गोतरा डिहटी टोली जिला गुमला  
 45000/- श्री. पाकर 0 20 20  
 गरीब कोषा - का. सं. 14.5.97  
 कोषा - 14.5.97



2000Rs.



-2-

3. लेखप्रकार :- बिक्रय-पत्र बैला क्लामी हमेशा के लिए ।

4. मूल्य :- मौवलिंग पैतालीस हजार रुपये अंके-45,000/- रुपये, जिसका आधा बाइस हजार पांच सौ अंके-22500/- रुपये होता है ।

5. सम्पत्ति :- सराजियात अन्दर मौजा-गोतरा ग्राम डिप्टीटोली, धाना-सिमडेगा, धाना नं0-80 सबरजिस्ट्री ऑफिस सिमडेगा, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला-गुमला, छाता नं0-50, पलाट नम्बर-3521 रकबा 5.02 एकड़ में से रकबा 0.30 एकड़ तीस डिस्मिल जा निब उतर तरफ नाम जमीन मशान टाँड़, दर्जा जमीन टाँड़ III जिसका चौहददी- उतर सेबेस्तीयन रक्का का टाँड़, दक्षिण-मत्तियस मिंज का टाँड़, पूरब- मेरी रक्का का टाँड़, पश्चिम-दशरथ महतो एवं ज्ञानचंद महतो का टाँड़ मालगुजारी 30 पैसे सलाने अलावे शेष, उक्त जमीन रक्कसली एवं अतिरिचित है ।

बेम सिरीटि-जुमला 3210  
 को: 011 150 सिमडा  
 ता: 14.5.97




1918- सलील कुमार सिरीटि  
 पिता श्री भाग्यस वि का  
 2111- गोबरसिंहसिरीटि  
 पी० सयडार  
 पिता- गुमला (विहार)  
 14.5.97.

1) प्रमाणित सिरीटि  
 2) शांभुन लीजा  
 3) कुसुम ईरा काड़ा

पेज नं0 3-



1000Rs.



-3-

1. चूंकि मुझे अपने ईलाज एवं घरेलु खर्च के लिए रुपयों की आवश्यकता है अतः मैं ने लेख्यधारी श्री बसंत कुमार बाड़ा से ऊपर छाना संख्या पांच में वर्णित जमीन को खारीदने के लिए आग्रह किया, उन्होंने उक्त जमीन को खारीदना स्वीकार किये। अतः मैं स्वेच्छा से छाना छाना संख्या पांच में वर्णित जमीन का कुल कीमत एक मुश्त 45,000/-रुपये पैंतालिस हजार रुपये नगद वसूल वो चुकता पाकर लेख्यधारी के हाथ रैयती बेचा। स्वम् उक्त जमीन का सारा हक अधिकार लेख्यधारी के हाथ हस्तांतरित कर दिया। अब से बिक्रीत जमीन पर मेरा कोई हक अधिकार नहीं रहा न ही मेरे किसी उतराधिकारी या स्थानापन्नों का। उक्त जमीन का हक अधिकार लेख्यधारी का हुआ वो उनके उतराधिकारी


बसंत कुमार  
जन्म 1950  
पति: श्री. लाल सिंह  
पति: 14.5.97



श्री. लाल सिंह  
पति: श्री. लाल सिंह  
श्री. लाल सिंह  
पति: श्री. लाल सिंह  
14.5.97

प्रमाणित किया  
श्री. लाल सिंह  
कुलुम झा बाड़ा





-4-

जो है और जो होंगे उनका हुआ वो रहेगा ।

2. चूंकि, मैं और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है अतः मैं अपनी जमीन को बिक्री करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमान् भूमि सुधार उप-समाहर्ता तिमडेगा के न्यायालय में आवेदन दिया । श्रीमान् भूमि सुधार उप-समाहर्ता तिमडेगा ने मुझे मेरी जमीन को बेचने के लिए दिनांक 28.1.97 को अनुमति प्रदान किये, जिसका वाद संख्या सी०एन०टी० 34/89-90 है ।

बेच गियानी दुबाले 3 रूफ  
 वा: सं: नंबर किरीडा  
 ता: 14. 5. 97



नाम आशुभं लिब्धः प्लका स्वः  
 मरकभं लिब्धः राम गोलरुं बाजा  
 सितडेगा लिब्धः दुबाला

ता 14. 5. 97

पेज नं०-5.

1) प्रमाणित लिक्चर  
 2) शोभन दीपा

3) कुसुम ईरा काडा





-5-

3. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कि बेची जाने वाली जमीन पर मेरा हक-दखाल वो कब्जा निर्विवाद है एवं इस पर किसी प्रकार का झगडा-झंझट भार या वारदेन नहीं है। बेची जाने वाली जमीन मेरी छातियानी जमीन है, जो कि मुझे पंचायती भाई बटवारे में मुझे मेरे हिस्से में मिली है।

4. अतः स्वेच्छा से यह बिक्रय-पत्र लिखा दिया कि प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

वेप निपुणी जुनास उश्व  
कां. ला. लेख सिद्धो  
दि. 14.5.97




- 1) प्रमाणित तिकी
- 2) शोभन गीला
- 3) कुसुम ईरा काड़ा

पेज नं०-6.

गवाह भरीसा कुमर महतो  
पिता स्वा. सरधू महतो  
शुभ जीतरा नमा होली  
कां. जीतरा भाजा शिमडेगा  
जिला शुभला  
दि. 14.5.97





-6-

5. अब चाहिए कि लेख्यधारी उक्त जमीन पर दखालकार होकर जोत-कोड़ कर फसल-आबाद करें एवं अपने उपयोग में लावे एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा के सिमिस्ते में अपने नाम से दाखाल-खारिज करा कर प्रति वर्ष निश्चित लगान चुका कर छास अपने नाम से रशीद लिया करें।

मै घोषणा करता हूँ, कि बिक्रीत जमीन एवं बचत जमीन मिलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है।

कथ निवासी जुगल राम  
 14.5.97  
 14.5.97

सही/-  
 देवनिवासी  
 जुगल राम  
 वा. आ. लख सिमडेगा  
 ता- 14.5.97



इस दस्तावेज का प्रारूप मेरे द्वारा तैयार किया गया।

- 1) पुमाणित्र निर्मा
- 2) शौभेन बाबा
- 3) कुसुम ईरा बाड़ा

प्रारूपकर्ता,  
 जुगल किशोर राम  
 अधिवक्ता  
 14.5.97

॥ जुगल किशोर राम ॥  
 अधिवक्ता,  
 सिमडेगा कपहरी, सिमडेगा

टंकक: देवनिवास बाड़ा  
 14-5-97  
 ॥ देवनिवास बाड़ा ॥  
 सिमडेगा कपहरी, सिमडेगा।

बिक्रीत जमीन आबादी में इस तरह शर्त है  
 कि अंचल अधिकारी के अन्तर्गत आता है  
 व. क. जुगल किशोर राम अधिवक्ता  
 24.5.97

